Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 9, Issue 2 | November 2021 - April 2022 | pp. 105-109

महिला सशक्तिकरण एवं सरकारी योजनाएँ

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

संदीप कुमार सोनिया

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में महिला महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी विकसित राष्ट्र के प्रगतिशील समाज के विकास में स्त्री तथा पुरुष दोनों की परस्पर सहभागिता आवश्यक है और देखा जाए तो समाज के सर्वांगीण विकास में महिलाओं की भागीदारी तथा उनका योगदान कभी भी कम नहीं रहा है। महिलाओं की अपनी पसन्द, अधिकार, कर्त्तव्य, निर्णय, प्रगति के साथ सशक्तिकरण उस देश-समाज के विकास के लिए आवश्यक होता है। आज महिलाएँ परिवार की देख-भाल, उद्यमी, खेती-किसानी, शिक्षा प्रदाता और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत कर रही है। भारत देश में स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ-साथ ही महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार की मांग उठती रही है और इस दिशा में किए गए प्रयासों का सार्थक परिणाम भी देखने को मिला है। भारत में स्वाधीनता संग्राम में तथा स्वतन्त्रता के बाद से ही सरकार द्वारा महिला स्थिति की ओर बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण किया है। विद्यालयों-कॉलेजों में पढ़ाई के साथ इन्हें विशेष प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए। जिसके फलस्वरूप आज देश में महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में अपने आत्मविश्वास, गुण तथा शिक्षा के आधार पर डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रशासनिक अफसर, वकील, जज, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में नजर आ रही है। इस तरह देश समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए मात्र इन लक्ष्यों के निर्धारित करने से काम नहीं चलने वाला है। अपितु इन लक्ष्यों को सही रूप से प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं में समुचित संसाधन भी जुटाने होंगे। इसके मध्यनजर देश की सरकारें भी समय-समय पर अपनी योजनाओं के माध्यम से महिला विकास को सुनिश्चित करती है।

संकेताक्षर— *सशक्तीकरण, महिला विकास, योजनाएँ*

प्रस्तावना

सशक्तिकरण का अर्थ है सशक्तिकरण से सत्ता की स्थिति में जाना। महिला सशक्तिकरण मूल रूप से एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहाँ महिलाएँ अपने विकास के लिए जिन्दगी के फैसलों पर स्वतंत्र रहकर निर्णय ले सकती हैं तथा समाज में समान रूप से चमक सकती है। महिला विकास, विकास व अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में बहस का विषय बन गया है। महिला विकास की अवधारणा को स्वीकार करने वाले कार्यक्रमों और नीतियों के कार्य करने से सारे देशों, व्यवसाय समुदाय व समूह को लाभ मिल सकता है। मानवाधिकार और विकास को बताते समय महिला विकास व्यावहारिक चिन्ताओं में से मुख्य चिन्ता है। महिला विकास किसी देश में राजनीतिक व आर्थिक रूप से महिलाओं की भागीदारी को दर्शाता है। लिंग सशक्तिकरण की गणना महिलाओं, महिला विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रबंधकों, महिला पेशे और तकनीकी कर्मचारियों की संसद में सीटों की हिस्सेदारी और अर्जित आय में लैंगिक असमानता एवं अच्छी आर्थिक स्वतन्त्रता देख के की जाती है। विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएँ चलाई गई है।

ISSN 2348-3857

महिला व पुरुषों की मध्य की असमानता समस्याओं को जन्म देती है। जो राष्ट्र विकास में बाधा है। महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उनकी महता समाज में पुरुषों के बराबर हो। वास्तव में महिला विकास तभी सम्भव है जब महिलाएँ अपने अधिकारों से अवगत हो। न केवल घरेलू और परिवार की जिम्मेदारी अपितु महिलाओं को हर क्षेत्र में सक्रिय व सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। महिला समाज में किसी समस्या को पुरुषों से बेहतर हल कर सकती है। वो देश व परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रबंधन एक अच्छी पारिवारिक योजना से कर सकती है। एक महिला परिवार में सभी चीजों के लिए जिम्मेदार मानी जाती है अत: वह सभी समस्याओं का समाधान अच्छी तरह कर सकती है। महिलाओं के विकास से पूरा समाज विकसित हो जायेगा। महिलाएँ अपने स्वास्थ्य शिक्षा, नौकरी तथा परिवार, देश एवं समाज के प्रति जिम्मेदारी को लेकर ज्यादा सचेत रहती है। वो हर क्षेत्र में प्रमुखता से भाग लेती है। अत: कई वर्षों के संघर्ष के बाद महिलाओं को सही राह पर चलने के लिए अधिकार मिल रहे है।

महिलाओं के अधिकारों को जागरूक करने की योजना महिला सशक्तिकरण है। इसके उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार महिला विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन करती है। वर्तमान समय में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों जैसे-घरेलू हिंसा, भेदभाव, यौन-उत्पीड़न, भ्रूण-हत्या अत्याचार जैसी समस्याओं के हल के लिए व उनको सशक्त बनाने के लिए राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ संचालित हो रही है—

'बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना' को पूरे जीवन-काल में शिशु लिंगानुपात में कमी को रोकने के लिए चलाई गई तथा इससे महिला सशक्तिकरण के मुद्दों का समाधान होता है। यह योजना महिला और बाल विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालय तथा मानव संसाधन मन्त्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

महिला सशक्तिकरण के लिए **'स्टार्ट-अप इंडिया योजना'** 15 अगस्त 2015 में महिला उद्यमियों के लिए मेंटरशिप प्रदान करने के लिए शुरू की गई जिससे महिलाएँ स्वरोजगार कर सकें और साथ ही दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकें। स्टार्ट-अप योजना से महिलाओं को ऐसा डिजिटल मंच मिला जिससे वे अपने कौशल को भी बढ़ा सकती है।

केन्द्र सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए महिला ई-हाट कौशल प्रशिक्षण योजना जैसी और भी बहुत सी योजनाएँ चला रखी है।

17 नवंबर 2018 को केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए **'मातृत्व लाभ प्रोत्साहन योजना'** शुरू की गयी। इस इस योजना के तरह सभी गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश में 12 सप्ताह से 26 सप्ताह की छुट्टी का प्रावधान किया है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत बच्चे के जन्म से पहले और बाद में कामकाजी स्थानों पर महिलाओं के रोजगार को विनियमित करेगा व लाभ प्रदान करेगा।

महिलाओं द्वारा सेनेटरी नैपकिन के बारे में सामान्यत: खुलकर बात नहीं की जाती है। महिलाओं को स्वच्छ व स्वस्थ रखने के लिए सेनेटरी नैपकिन के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा **'उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन अभियान'** चलाकर महिला एवं छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नैपकिन प्रदान किए जाएँगे। इस योजना के तहत सभी महिलाओं को राज्य के प्रत्येक जिले में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ स्वच्छता उत्पादों तक पहुँच मिलेगी।

महिला सशक्तिकरण में उस क्षमता की बात करें जहाँ महिलाएँ परिवार व समाज के सभी बंधनों से आजाद होकर अपने निर्णयों की निर्माता स्वयं बनें। महिलाओं का जाग्रत होना बेहद जरूरी है। ऐसे ही केन्द्र सरकार के सहयोग से नीति आयोग ने महिला उद्यमियों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है **'महिला सशक्तिकरण योजना'** शुरू किया है। पोर्टल पर महिलाएँ अपने टैलेंट व विभिन्न विचारों को उद्यम में बदल सकती है जिससे आने वाले समय में देश के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढेगी एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

'धन लक्ष्मी योजना' से एक बीमा कवर प्रदान करने के माध्यम से भारत में कन्या भ्रूण हत्या के मामलों को कम करने के लिए केन्द्रित है। यह योजना बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तथा बालविवाह को रोकने के लिए आकर्षक बीमा योजनाएँ प्रदान करती है। योजना का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं के जीवन को महत्त्व देना है।

केन्द्र सरकार ने माता और नवजात बच्चे की मृत्यु दर को रोकने के लिए **'सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना'** शुरू की है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, माताओं के प्रसव के छह महीने बाद और बीमार नवजात शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके तहत चैकअप आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट, टिटेनस, डिप्थीरिया इंजेक्शन व एएनसी पैकेज के अन्य घटक और घर पर जाकर शिशु की जाँच शामिल की गई।

लड़कियों को उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें सशक्त बनाया जा सके और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सीखने के अवसर प्रदान किये जा सकें इसके लिए **'उड़ान योजना'** शुरू की गई। यह एक तरह की छात्रवृति योजना है जिससे मेधावी छात्राओं को बिना किसी परेशानी के स्कूलों से तकनीकी शिक्षा में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। कुछ परिवारों में पैसे व सलाह की कमी के कारण लड़कियाँ अपने आगे की शिक्षा पूरी नहीं कर पाती है। यह योजना उन्हें ऐसा करने के लिए स्वतंत्र बनाएगी।

सभी देशों में बच्चों के स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिकता सरकार देना चाहती है। जिसके लिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। इसी के लिए **'मिशन इन्द्रधनुष'** चलाया गया। जिसमें बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया हूपिंग कफ, टिटेनस, पोलिया, तपेदिक खसरा और हेपेटाइटिस के खिलाफ गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना।

आने वाले वर्षों में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए तथा समाज में किसी भी भेदभाव से बचाने के लिए वित मन्त्रालय **'सुकन्या समृद्धि योजना'** से एक प्रीमियम बचत योजना पेश करता है जो बालिकाओं के माता-पिता को भविष्य की शिक्षा के लिए एक कोष बनाने तथा एक बालिका के लिए विवाह एक्सप्रेस के लिए प्रोत्साहित करता है।

'वनस्टॉप सेन्टर योजना' में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मेडिकल सपोर्ट, कानूनी सहायता, अस्थायी रूप से रहने को स्थान, मानसिक एवं भावनात्मक सहयोग जैसी मदद जल्दी मिल जाएँ एवं एक स्थान पर यह मिल जाये। इसके लिए केन्द्र सरकार ने इस योजना का प्रारम्भ किया। महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय द्वारा तैयार यह योजना **'सखी'** रूप में जानी जाती है।

'प्रधानमन्त्री समर्थ योजना' के अन्तर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को कार्यों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी जाती है। जिससे महिलाएँ बिजनेस के क्षेत्र में अपने हाथ आजमाये एवं खुद का व्यवसाय कर सकें।

'फ्री सिलाई मशीन योजना' के तहत महिलाओं को अपनी आजीविका चलाने हेतु एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना चलाई गई है। जिसमें महिलाएँ कढ़ाई-बुनाई कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। यह योजना ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए है।

'प्रधानमन्त्री मातृ वेदना योजना' गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए यह योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार 6000रू की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्र सरकार ने देश में **'प्रधानमन्त्री महिला शक्ति केन्द्र योजना'** शुरू की जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाना, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकें। यह योजना महिला व बाल विकास मन्त्रालय के अधीन लागू हुई। यह महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई।

'सबला योजना' से केन्द्र सरकार किशोरियों का सशक्तिकरण करना चाहती है। 10-14 वर्ष की आयु की सभी स्कूली लड़कियों को उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें। इस योजना से ड्रॉप-आउट छात्राओं की संख्या में कमी आएगी तथा प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मन्त्रालय द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर **'नंदागौरा योजना'** का निर्माण किया गया। जिसमें 2 क़िस्तों में 62000 रुपए की धनराशि बैंक के माध्यम से उन परिवारों की कन्याओं को दी जाती है। जिनकी वार्षिक आय इस योजना के मानकों के अनुरूप हो।

महिलाओं की सुरक्षा पर जोर देने का कार्य करने को **'निर्भया फण्ड'** शुरू किया गया इसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षण

प्रशिक्षण कानूनों के प्रति जागरूक एवं आत्मरक्षा सम्बन्धित ज्ञान का विस्तार किया गया है। भारत सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न से मुक्त महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के उद्देश्य से **'कार्यस्थल अधिनियम 2013'** में यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण कानून बनाया गया।

राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति, शोषण अत्याचारों को रोकने के लिए कई कार्य लगातार किए जा रहे है परन्तु वर्तमान समय में भी महिलाओं की स्थिति में ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिलता है। आए दिन हम घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न जैसी सूचनाओं को समाचार के माध्यम से सुनते है इनके लिए अनेकों कानून भी बनते है अपराधियों को सजा भी मिलती है परन्तु अपराधियों पर नियंत्रण असम्भव नजर आता है। इन समस्त समस्याओं के हल के लिए महिलाओं को आत्मरक्षा की कला में निपुण होना एवं शिक्षित होना बहुत जरूरी है और सचेत एवं हर समय सक्रिय रहने की आवश्यकता है।

हमारा देश आने वाले समय में दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश बनने को प्रगतिशील है। इसलिए हमें महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो लैंगिक समानता और सन्तुलित अर्थव्यवस्था लेने की उम्मीद करती है। आज के समय में भारतीय महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सिविल सेवक, डॉक्टर, वकील आदि है फिर भी उनमें से अधिकांश महिलाओं को सहायता की आवश्यकता है। देश के सामाजिक-आर्थिक विकास का रास्ता देश की महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास से होकर जाता है।

निष्कर्ष

भारतीय सामाजिक व्यवस्थाओं में महिलाओं का स्थान महत्त्वपूर्ण रहा है। भारतीय हिन्दू समाज में प्राचीन काल से ही महिलाओं का सम्मान रहा है। इन महिलाओं का परिवार में कन्या, वधु, पत्नी तथा माँ के रूप में योगदान सदैव गौरवपूर्ण रहा है। भारतीय धर्मशास्त्रों में भी नारी को सर्वशक्तिसम्पन्न, सहनशीलता, ज्ञानी, यश तथा सम्पत्ति का प्रतीक माना है। लेकिन महिलाओं की स्थिति में प्रत्येक युग के अनुरूप बहुत से परिवर्तन भी होते रहे है। इसके साथ-साथ आज राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाएँ अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रही है। महिलाओं की स्थिति और उनके जीवन मूल्यों में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें शिक्षित करने, व्यावसायिक शिक्षा देना, सरकारी विभागों, अर्द्ध सरकारी उपक्रमों और न्यायपालिका में उनको समान अवसर देने के साथ-साथ महिलाओं की राजनीतिक तथा प्रशासन में भी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जिससे देश में लोकतंत्र की जड़े ओर अधिक मजबूत हो सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है लेकिन इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि महिला मानव समाज को जन्म देने वाली और उसका पालन-पोषण करने वाली जननी भी है। इसी कारण माता का स्थान ईश्वर के पश्चात् बताया गया है। इन सब के मध्यनजर देश की सरकारें भी समय-समय पर अपनी योजनाओं के माध्यम से महिला विकास को सुनिश्चित करती है। महिलाओं को अपने सर्वांगीण विकास के उचित साधन मिलने चाहिए। किसी भी देश के विकास में महिलाओं का भी उतना ही योगदान होता है जितना की पुरुष वर्ग का है इसलिए सरकारें भी समय-समय पर महिला विकास की अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण करने का प्रयास करती है तथा महिलाओं को भी पुरुष के बराबर मुख्यधारा में लाने की हरसम्भव प्रयास करती है। महिलाओं के विकास में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जिससे वे अपने अधिकारों व कर्त्तव्य के प्रति जागरूक हो सकें और इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। जिससे महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में सुदृढ़ स्थिति हो सकें। इस तरह सरकारें भी समय-समय पर महिला स्थिति का आकलन कर अपनी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का हर-सम्भव प्रयास करती है। इस तरह समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में महिला महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. चन्देल, धर्मवीर, मानवाधिकार और महिला विमर्श, पॉइन्टर्स पब्लिशर्स, जयपुर, 2014, पृ.सं. 22
2. माहेश्वरी, अविनाश, महिला अधिकार और कानून, प्रिज्म बुक्स, जयपुर, 2011, पृ.सं. 11
3. कोठारी, अनिता, भारतीय समाज एवं मानवाधिकार, आदि पब्लिकेशन, जयपुर, 2010, पृ.सं. 63
4. ओझा, चितरंजन, नारी शिक्षा सशक्तिकरण रॉयल, पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010, पृ.सं. 22-23

5. नटाणी, शोभा, भारतीय समाज और नारी : दशा और दिशा, मार्क पब्लिशर्स, जयपुर, 2010, पृ.सं. 27
6. सिंह, जगजीत, मानवाधिकार : वायदे और हकीकत, सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्ली, 2008, पृ.सं. 109
7. नाटानी, प्रकाश नारायण, कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बुक एनक्लेव, जयपुर, 2007, पृ.सं. 95
8. जैन, अनूप, महिला अधिकार शिक्षा, लक्ष्य पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2004
9. शर्मा, प्रज्ञा, महिला विकास और सशक्तिकरण, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2001, पृ.सं. 111
10. ऑलगर्वमेंन्ट योजना.कॉम